राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1200 / 2025

कमला

—अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित)एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मनोज कुमारी, वर्तमान में पीएचसी, बेरी, पिपराली, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, कैवियटर

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 15.01.2025 के आदेश को चुनौती दे रही है, जो वास्तव में 16.012025 को जारी किया गया था, जिसके तहत अपीलार्थी को पीएचसी बेरी, ब्लॉक पिपराली, सीकर से एचडब्ल्यूसी, पाटोली, ब्लॉक उनियारा, जिला टोंक में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर तैनात किया गया था और आगे इस आधार पर कि अपीलार्थी का पति न्यूरॉ की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसका नियमित उपचार मेदांता अस्पताल में चल रहा है और अपीलार्थी अपने पति की देखभाल करने वाली एकमात्र सदस्य है, क्योंकि दोनों बच्चे दूर रहते हैं और प्रत्यर्थी संख्या 3 को समायोजित करने के लिए आदेश जारी किया गया है और अपीलार्थी का पति भी पास के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। (अनुलग्नक—1) अपीलार्थी ए.एन.एम. के पद पर

कार्यरत थी तथा उच्च अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ कार्य कर रही थी। अपीलार्थी के पति भी शिक्षक के पद पर कार्यरत है तथा अपीलार्थी के नजदीकी स्थान पर तैनात है। अपीलार्थी का पति न्यूरौ रोग का गंभीर रोगी है और उसका नियमित उपचार मेदांता अस्पताल से चल रहा है तथा अपीलार्थी अपने पति की देखभाल करने वाली एकमात्र सदस्य है क्योंकि दोनों बच्चे दूर रहते हैं। (अनुलग्नक–2) सरकार ने 01.01.2025 से 15.01.2025 तक स्थानान्तरण पर प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन 15.01.2025 की मध्यरात्रि तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया और सभी स्थानान्तरण आदेश 15.01.2025 की मध्यरात्रि तक का समय पूरा होने के बाद जारी किए गए।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात पीएचसी बेरी, ब्लॉक पिपराली, जिला सीकर में नियमित वेतन और लाभों के साथ एएनएम के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पीएचसी बेरी, ब्लॉक पिपराली, सीकर से एचडब्ल्यूसी, पाटोली, ब्लॉक उनियारा, जिला टोंक में स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी का पति न्यूरौ रोग का गंभीर रोगी है और उसका नियमित उपचार चल रहा है तथा अपीलार्थी अपने पति की देखभाल करने वाली एकमात्र सदस्य है, क्योंकि दोनों बच्चे दूर रहते हैं। इस स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर दो सप्ताह में निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में

अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य